कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

ग्वालियर, दिनांक 06 /01/2022

क्रमांक 245 /2-ख/स्था/6-17/2/10........, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ. 6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर, 2020 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के द्वारा नजूल भूमि प्रबंधन एवं निर्वर्तन से संबधित वर्तमान में प्रभावशील परिपत्र तथा उनमें समय-समय पर किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन जिसका विवरण अधिसूचना द्वारा जारी निर्देशों की कंडिका 148 को अधिक्रमित करते हुये, राज्य सरकार द्वारा "राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार क्रमांक 1 "मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020" जारी किये गये हैं।

2. कार्यालयीन समसंख्यक आदेश क्रमांक 6592/2-ख/स्था/6-17/2/10 दिनांक 01.10.2021 को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुये "मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020" लागू होंने की दशा में "मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020" की कंडिका 3 (घ) में प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित तथा अधिनियमित रूप से कार्यों के क्रियान्वयन हेतु संबधित अधिकारीगणों को आदेशित किया जाता है।

2.1 अपर कलेक्टर (शहरी)/ग्रामीण "मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020" के सुचारू क्रियान्वयन के नोडल अधिकारी रहेंगे। अपर कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि वे नजूल संबधी संपूर्ण कार्यवाही के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करेंगे।

2.2 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (शहरी/ग्रामीण) अपने कार्य के साथ-साथ "मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020" अनुसार अपने-अपने अनुविभाग अन्तर्गत विहित प्रक्रिया तथा निर्देशों के अन्तर्गत शक्तियों तथा अधिनियमित रूप से कंडिका 8 (3) के अनुरूप जिला निर्वर्तन समिति को प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्यवाही कर समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला ग्वालियर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नजूल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ नजूल के पुराने समस्त प्रकरणों सहित संपूर्ण संबधित मदों का दायरा पंजी आवश्यक रूप से संधारित करते हुये, नजूल विषयक समस्त प्रकार की, की गई वसूली/अतिक्रमण/नजूल एन.ओ.सी./नवीनीकरण से संबधित पत्रक प्रतिमाह की 05 तारीख को अपर कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2.3 तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत "मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020" के अन्तर्गत संपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन अनुविभागीय अधिकारी के अनुमोदन उपरांत, करना सुनिश्चित करेंगे।

2.4 "मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020" में विहित नीति निर्देशों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व संबधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का होगा। उचित रीति से क्रियान्वयन न होंने की दशा में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
कलेक्टर
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक...246.../2-ख/स्था/6-17/2/10 ग्वालियर, दिनांक 06/01/2022

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर।
7. आयुक्त नगर निगम ग्वालियर।
8. अपर कलेक्टर (समस्त) जिला ग्वालियर।
9. अपर जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर।
11. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य/स्थानीय) ग्वालियर।
12. नजूल अधिकारी जिला ग्वालियर।
13. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर
14. जिला पंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन ग्वालियर।
15. समस्त प्रभारी अधिकारी ....जिला ग्वालियर।
16. अनुविभागीय अधिकारी (समस्त) ....जिला ग्वालियर।
17. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी, जिला ग्वालियर की ओर बेबसाइड पर अपडेट हेतु।
18. तहसीलदार (समस्त) ....तहसील, जिला ग्वालियर।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) ....जिला ग्वालियर।
20. प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन / ई-गर्वनेस ग्वालियर।
21. मुख्य नगर पालिका अधिकारी ....ग्वालियर।
22. अधीक्षक भू-अभिलेख/डायवर्सन/भू-प्रबंधन ग्वालियर।
23. अधीक्षक, कलेक्ट्रेट ग्वालियर।
24. प्रवाचक टू कलेक्टर/स्टेनो टू कलेक्टर एवं संबधित शाखाएँ ....ग्वालियर।

कलेक्टर
जिला ग्वालियर (म.प्र.)